



कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2026/राजकाज रेफरेंस नंबर 214 दिनांक :- ई हस्ताक्षर

-:: कार्यालय आदेश ::-

अनुमोदित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा नम्बर 291, 548/291 (507/291 पुराना), 509/291 ग्राम कुन्हाड़ी क्षेत्रफल 14340 वर्गमीटर का ले-आउट प्लान का समिति की बैठक दिनांक 26/07/2023 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.5 प्रतिशत में भूखण्ड सं0 R-50 (कुल 01) क्षेत्रफल 25935 वर्गफीट आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बाबत चार्टर्ड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 29/03/2025 एवम् अभियांत्रिकी शाखा (सिविल/विद्युत/जल) की रिपोर्ट के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आरक्षित भूखण्ड सं0 R-50 (कुल 01) क्षेत्रफल 25935 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 12/1/2016 के अनुसार आरक्षित भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्डों की आरक्षित दर का 120 प्रतिशत अर्थात् आरक्षित दर + आरक्षित दर का 20 प्रतिशत के आधार पर कीमत की 3 वर्ष के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. लिए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक, कोटा की एफडीआर संख्या 24147602 दिनांक 17/02/2026 राशि 20,24,652.00 रु. (अक्षरे बीस लाख चौबीस हजार छः सौ बावन रुपये मात्र) प्रस्तुत की गई है, जिसके फलस्व भूखण्ड सं0 R-50 (कुल 01) क्षेत्रफल 25935 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किए जाते हैं।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) उपायुक्त (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई.सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- (3) श्री वासुदेव अग्रवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अजय अग्रवाल निवासी बंगला नं0 1 व 3, जे.के. नगर, कोटा (राज0)।

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण